



परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में गरुड़-बिनखोली मोटर मार्ग से कोठों मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

### वनभूमि की माँग की सन्दर्भित आख्या

विकास खण्ड गरुड़ तहसील गरुड़ जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गरुड़-बिनखोली मोटर मार्ग से कोठों मोटर मार्ग स्वीकृत है। उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई 2.60 किमी० है। इस प्रस्तावित मोटर मार्ग में कुल 2.340 हे० भूमि है। जिसमें सिविल सोयम 0.540 हे० व वन पंचायत 0.00 हे० है तथा नाप भूमि 1.800 हे० है। चूँकि उत्तराखण्ड की लगभग 71 प्रतिशत क्षेत्रफल वन से आच्छादित है। अतः बिना वनभूमि प्रभावित हुए मोटर मार्ग का निर्माण सम्भव नहीं हो पायेगा। इस मोटर मार्ग निर्माण से बिनखोली, कोठों आबादी 634 लाभान्वित होंगे। यह कार्य जनहित में प्रस्तावित है। उक्त मार्ग हेतु अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः अन्य वैकल्पिक भूमि न होने, प्रस्तावित समरेखन में वनभूमि कम होने, वृक्षों की संख्या कम होने, अधिकतम जनसंख्या एवं बसावट लाभान्वित होने, उचित ग्रेडियन्ट प्राप्त होने, न्यूनतम लम्बाई होने, हेयरपिन बैंड न्यूनतम होने एवं भूगर्भीय स्थिति (स्लाईडिंग जोन ना होना) उचित होने के कारण उक्त वनभूमि से मार्ग का निर्माण किया जाना आवश्यक है। कोठों ग्राम को जोड़ने के लिए वनभूमि के प्रयोग किये बिना कोई और विकल्प नहीं है अन्यथा कोठों ग्राम मोटर मार्ग से जुड़ने से वंचित रह जायेगा। समरेखन संख्या- 2 में वनभूमि का क्षेत्रफल 2700 वर्गमी० अधिक आ रहा था एवं वनभूमि के न्यूनतम प्रयोग की माँग पर उसे निरस्त कर दिया गया है। सम्बन्धित सभी विभाग- वन विभाग, प्रयोक्ता एजेन्सी, राजस्व विभाग आदि द्वारा मार्ग में वनभूमि के न्यूनतम प्रयोग करने हेतु भरसक प्रयास किये गये हैं।

  
कनिष्ठ अभियन्ता,  
पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड,  
बागेश्वर।

  
सहायक अभियन्ता,  
पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड,  
बागेश्वर।

  
अधिशाली अभियन्ता,  
पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड,  
बागेश्वर।